For the use of Committee on
Subordinate Legislation.

Regd. No. J. 30

राजस्थान राज-पत्र

सत्यमेव जयते

विशेषांक

Rajasthan Legislative Assembly
Receipt No. 3954
Date 26.4.69
JAIPUR

Rajasthan Gazette

EXTRAORDINARY

साधिकार प्रकाशित] [Published by Authority

चैत्र 26, बुधवार, शक सम्वत् 1891—अप्रैल 16, 1969

Chaitra 26, Wednesday, Shak Samvat 1891—April 16, 1969

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम

LAW (A) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, April 16, 1969.

No. F. 7(4)-*L*/69.—The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the Governor on the 14th day of April, 1969, and is published for general information:—

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS) (AMENDMENT) ACT, 1969.

(Act No. 7 of 1969)

[*Received the assent of the Governor on the* 14*th day of April*, 1969].

An
Act

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Twentieth Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short Title.*—This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) (Amendment) Act, 1969.

2. *Insertion of new section 6-D in Rajasthan Act 6 of 1957.*—After section 6-C of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957), hereinafter called the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"6-D *Salary, Residence, Conveyance and Telephone etc. of the Government Chief Whip.*—(1) There shall be paid, with effect from the twentieth day of March, 1969 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, whichever may be later, a salary of Rs. 1125/- per mensem to the Government Chief Whip.

(2) Subject to rules, if any, made in this behalf, the Government Chief Whip shall during the period he continues to be such Whip, and for a period of fifteen days immediately thereafter be entitled to the use of—

(*a*) a fully furnished house in Jaipur without payment of rent, and

(*b*) a State Car without payment of hire or other charges,

and no charge shall fall on him in respect of the maintenance of such house or car.

Explanation:—For the purposes of this section—

(*a*) "Government Chief Whip" means that member of the Rajasthan Legislative Assembly who is Chief Whip for the time being in that Assembly of the party in Government having the greatest numerical strength in that Assembly, and

(*b*) "maintenance" in relation to house includes the provision of electricity and water not exceeding the limits prescribed under section 6-A in the case of officers of the Legislative Assembly.

(3) The Government Chief Whip shall be entitled to a free telephone and such postal facilities as may be prescribed.

(4) If any doubt arises as to which is or was at any material time the party in the Government having the greatest numerical strength in the Assembly, or as to who is or was at any material time the Government Chief Whip in that Assembly of such a party, the question shall be decided for the purpose of this section by the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly and his decision in writing under his hand, shall be final and conclusive."

3. *Insertion of new Section 9-A in Rajasthan Act 6 of* 1957.—After section 9 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"9-*A. Amenities to Chairmen of Committees.*—Every Chairman of a Committee of the Legislative Assembly shall be entitled to a free telephone and such other postal facilities as may be prescribed.

Explanation:—For the purpose of this section, "Committee of the Legislative Assembly" means any Committee which is appointed, elected or nominated by or under the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly."

4. *Insertion of new Section* 11-*A in Rajasthan Act* 6 *of* 1957.—After section 11 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"11-*A. Advances to officers for purchase of motor cars.*—There shall be paid to an officer of the Legislative Assembly, by way of a repayable advance, such sum of money for the purchase of a motor car and on such terms as the State Government may, by rules, determine in order that he may be able to discharge conveniently and efficiently the duties of his office."

5. *Removal of doubts.*—For the purposes of removal of any doubts, after clause (a) of section 3 of the Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1956 (Rajasthan Act No. 7 of 1956) the following new clause shall be and shall be deemed always to have been inserted, namely:—

"(aa) the office of the Government Chief Whip;"

दुर्गाशंकर आचार्य,

Secretary to the Government.

विधि विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 16, 1969

संख्या एफ. 7 (4) एल।69--राजस्थान आॅफिशियल लैंग्वेज एक्ट, 1956 (एक्ट संख्या 47 सन् 1956) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली आॅफिसर्स एण्ड मैम्बर्स एमोल्यूमेन्ट्स) (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 1969 (राजस्थान एक्ट सं. 7 सन् 1969)" का हिन्दी अनुवाद सर्व साधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) अधिनियम, 1969

(अधिनियम सं. 7 सन् 1969)

[राज्यपाल की अनुमति दिनांक 14 अप्रेल, 1969 को प्राप्त हुई]

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम.–यह अधिनियम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) अधिनियम, 1969 कहा जा सकेगा।

2. राजस्थान अधिनियम 6 सन् 1957 में नई धारा 6-घ. का अन्तःस्थापन.– राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 6 सन् 1957), जिसे एतत्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6-ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"6-घ. सरकारी मुख्य सचेतक के सम्बलम्, निवास, प्रवहण और टेलीफोन आदि.—(1) सरकारी मुख्य सचेतक को मार्च, 1969 के बीसवें दिन से, या उस तारीख से जिसको वह तत्पश्चात्, अपना पद ग्रहण करे, जो भी पश्चात्वर्ती हो, 1125) रु. संबलम् प्रति माह संदत्त किया जाएगा।

(2) सरकारी मुख्य सचेतक, एतन्निमित्त बनाए गए नियमों, यदि कोई हों, के अध्यधीन उस कालावधि के दौरान जब वह उक्त सचेतक बना रहे, और उसके अव्यवहित पश्चात् पन्द्रह दिनों की कालावधि के लिए—

(क) जयपुर में भाटक का संदाय किए बिना पूर्णतः सुसज्जित गृह, तथा

(ख) भाड़े अथवा अन्य प्रभारों का संदाय किए बिना सरकारी मोटर गाड़ी,

के उपयोग का हकदार होगा और उक्त गृह अथवा मोटर गाड़ी के अनुरक्षण के बारे में उस पर कोई प्रभार नहीं पड़ेगा।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) 'सरकारी मुख्य सचेतक' से राजस्थान विधान सभा का वह सदस्य अभिप्रेत है जो उस सभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाले सत्तारूढ़ दल का, उस सभा में तत्समय मुख्य सचेतक है; तथा

(ख) गृह के सम्बन्ध में 'अनुरक्षण' के अन्तर्गत विद्युत् और पानी का उपबंध आता है जिसकी परिसीमाएं विधान सभा के आधिकारियों के बारे में धारा 6-क में विहित परिसीमाओं से अधिक नहीं होंगी।

(3) सरकारी मुख्य सचेतक मुफ्त टेलीफोन और ऐसी डाक सुविधाओं का हकदार होगा जो विहित की जाएं।

(4) यदि कोई सन्देह उद्भूत होता है कि किसी तात्विक समय में सभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला सत्तारूढ़ दल कौनसा है या था, अथवा किसी तात्विक समय में उस सभा में उक्त दल का मुख्य सचेतक कौन है या था, तो प्रश्न इस धारा के प्रयोजन के लिए राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उसके हस्ताक्षर सहित उसका लिखित विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।"

3. राजस्थान अधिनियम 6 सन् 1957 में नई धारा 9-क. का अन्तःस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"9—क. समितियों के अध्यक्ष को सुविधाएं.—विधान सभा की समिति का प्रत्येक अध्यक्ष मुफ्त टेलीफोन और ऐसी अन्य डाक सुविधाओं का हकदार होगा जो विहित की जाएं।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजन के लिए "विधान सभा की समिति" से अभिप्रेत है राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के द्वारा या अधीन नियुक्त, निर्वाचित या नाम-निर्देशित कोई समिति।"

4. राजस्थान अधिनियम 6 सन् 1957 में नई धारा 11—क. का अन्तःस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"11-क. अधिकारियों को मोटर गाड़ियों के क्रय के लिए अग्रिम.—राजस्थान विधान सभा के अधिकारी को ताकि वह अपने पद के कार्य को सुचारुता तथा दक्षता से कर सके, वापिस भुगतान योग्य अग्रिम के रूप में, मोटर गाड़ी के क्रय के लिए ऐसी धन-राशि तथा ऐसी शर्तों पर जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे, दी जाएगी।"

5. संदेहों का निराकरण.––किन्हीं संदेहों के निराकरण के प्रयोजनों के लिए, राजस्थान विधान सभा (निरर्हताओं का हटाना) अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 7, सन् 1956) की धारा 3 के खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा और सदैव ही अन्तःस्थापित किया हुआ समझा जाएगा :––

"(कक) सरकारी मुख्य सचेतक का पद;।"

दुर्गाशंकर आचार्य,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर।